

डिक्री बमूकहमें इबादाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
सीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 152 ए/2024

शदी

1. गणेशसिंह पुत्र रसालसिंह
2. परबतसिंह पुत्र रसालसिंह
3. प्रहलादसिंह पुत्र रसालसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र रसालसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेरवाड़ तहसील जायल

बनाम

प्रतिवादीगण

1. उच्चबकंवर पुत्री रसालसिंह
2. बसुकंवर पुत्री रसालसिंह
3. मूलकंवर पुत्री रसालसिंह
4. माफु कंवर पुत्री रसालसिंह
5. सुमित्राकंवर पुत्री रसालसिंह
6. सुरज्ञान कंवर पुत्री रसालसिंह
7. सूरजकंवर पत्नी रसालसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खेरवाड़ तहसील जायल
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -


1. वादी 1 से 4 कि ओर से श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 7 की ओर से श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट



--: डिक्री आदेश ::--

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री अम्बालाल पारासर एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 गणेशसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा खेरवाड़ के खसरा नम्बर 106 रकबा 1.7968 हैक्टेयर में से पश्चिमि तरफ का रकबा 0.7507 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 135 रकबा 2.3876 हैक्टेयर में से रकबा 0.2954 हैक्टेयर पश्चिमि भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल



वादी संख्या 2 परबतसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा खेरवाड़ के खसरा नम्बर 135 रकबा 2.3876 हैक्टेयर में से रकबा 1.0461 हैक्टेयर पूर्वी तरफ का भाग रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

वादी संख्या 3 प्रहलादसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा खेरवाड़ के खसरा नम्बर 106 रकबा 1.7968 हैक्टेयर में से पूर्वी तरफ का रकबा 1.0461 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

वादी संख्या 4 सुमेरसिंह के हक बंट कब्जा काश्त में मैजा खेरवाड़ के खसरा नम्बर 135 रकबा 2.3876 हैक्टेयर में से रकबा 1.0461 हैक्टेयर बीच का रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

प्रतिवादी संख्या 1 से 7 उच्चबकंवर, बसुकंवर, मूलकंवर, माफु कंवर, सुमित्राकंवर, सुरज्ञान कंवर एवं सूरज कंवर के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेग। बैंक सूचित हो।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत - खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीब्ल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23/9/24 को जारी किया गया



(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

मुद्दै	रुपये	पैसे	मुद्दायला	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीष्जर		
फीस कमीष्जर			बाबत इजराय हुक्मीजान		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					

:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं चाहिए।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल